



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/160/2023/एफ.सी.

534

दिनांक : 01.03.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/150065/2021

विषय: जनपद मीरजापुर के कैमूर वन्यजीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा भटवारी-मतवार सम्पर्क मार्ग, मतवरिया-मतवार सम्पर्क मार्ग, बढौही परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग, सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेंजा बाध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा-सगरा सम्पर्क मार्ग व खरिहट खुर्द से केडवर सम्पर्क तक सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 34.902 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 156 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1846/11-सी-FP/UP/Road/150065/2021, दिनांक 23.01.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-146/81-2-2023-800(173)/2023, दिनांक 27.06.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रकरण को दिनांक 15.02.2024 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 3.3 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने प्रस्ताव को विभिन्न प्रेक्षाओं के अभाव में आस्थगित (defer) कर दिया है।

क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना परिवेष पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the previous query S.No. 1, dated 07.08.2023 regarding the undervaluation of the Reserved Forest area, revised KML file needs to be provided & uploaded on PARIVESH Portal.
2. As per the DSS net suitable area for plantation is 29.99 ha, which is lower than the actual required CA land area of 34.902 ha. This needs clarification/rectification.
3. As per the DSS, the proposed CA land of 63GA Kursiyara (area 10.51 ha) completely and Danti village partially (9.58 ha area) falls under the Reserved Forest area. This needs to be rectified.
4. As per the DSS, the proposed CA land of Kursiyara village and Halia village falls under the Kaimur WLS. So comments of Chief Wild Life Warden are required to ensure that CA scheme is as per prescriptions of management plan. NBWL approval be sought, if required.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिवासी अभियंता, प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०, मीरजापुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}